न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–37/2017/टोंक (2017/00038)

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नि सम्पतराज, जाति बैरवा, नि0 ग्राम लडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नाथूराम पुत्र सोनीराम,
2. श्रीमती संतोष देवी पुत्री सोनीराम,
3. श्रीमती राजीदेवी पत्नि श्योराज,
   समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम लडी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
4. तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, मालपुरा दिनांक 10.4.2017 अंतर्गत प्रा0पत्र संख्या 135/2014.

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री हनुमान प्रसाद, वकील रेस्पोडेंस संख्या 1 एवं 2.

निर्णय

दिनांक :– 28.2.2018

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, मालपुरा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 10.4.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सोन्या उर्फ सोनीराम पुत्र नारायण, जाति बैरवा, निवासी लडी, तहसील मालपुरा ने अपनी स्वअर्जित खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी व चल, अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 16.4.2014 को की है । वसीयतकृता की दिनांक 6.9.2014 को मृत्यु हो चुकी है । अतः प्रार्थिया के पक्ष में

वसीयत के आधार पर नामांतकरण खोला जावे । तहसीलदार, मालपुरा ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई कर निर्णय दिनांक 10.4.2017 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् वसीयत के आधार पर खोले जाने नामांतकरण को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के खातेदार सोन्या उर्फ सोनीराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 16.4.2014 को तहरीर की थी जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है तथा उक्त वसीयत पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है । उक्त वसीयत को आज दिवस तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है एव ना ही अपास्त कराया गया है । विवादित आराजी वसीयत दिनांक 16.4.2014 के आधार पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु तहसीलदार ने वसीयत को नजरअंदाज कर विवादित आराजी विरासत के आधार पर दर्ज करने में विधिक त्रुटि कारित है। तहसीलदार को वसीयत की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वसीयत फर्जी एवं धोखे से कराये जाने के संबंध में विपक्षीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी जिसमें बाद जांच एफ0आर0 लग चुकी है इसलिये वसीयत को नहीं मानने का कोई आधार अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि मृतक खातेदार की स्वअर्जित सम्पति थी जिसे उसे वसीयत करने का पूर्ण विधिक अधिकार था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि पटवारी हल्का ने भी विवादित आराजियात को स्वअर्जित होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वसीयत को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 10.4.2017 को अपास्त किया जावे तथा वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करावें । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पैतृक सम्पति थी जिसकी वसीयत करने का अधिकार मृतक सोन्या को नहीं था। अपीलांट ने जो वसीयत पेश की है वह फर्जी एवं अवैध है एवं तथाकथित वसीयत दिनांक 16.4.2014 की है तथा खातेदार सोन्या की मृत्यु दिनांक 6.9.2014 को हुई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने खातेदार की मृत्यु

से कुछ माह पूर्व ही फर्जी एवं कूटरचित तरीके से वसीयत तैयार करवाई है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि वसीयत फर्जी होने से ही स्वंय वसीयतकर्ता ने अपीलांट के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया था जिससे भी वसीयत विवादित हो गई थी । अपीलांट जब तक वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट नहीं करा लेते तब तक वसीयत के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि मृतक खातेदार के नाम विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 33 से दर्ज हुई थी जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खातेदार की स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजियात थी । अपीलांट ने विवादित आराजियात मृतक खातेदार की स्वअर्जित होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि समरी कार्यवाही में वसीयत की वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां वसीयत के बजाय प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपासत की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2009 पार्ट–1 पेज 376 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 ने अधी0न्याया0 में वसीयत दिनांक 16.4.2014 के आधार पर मृतक खातेदार सोन्या उर्फ सोनीराम की आराजियात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजियात पैतृक आराजियात थी जिसकी वसीयत करने का अधिकार खातेदार सोन्या उर्फ सोनीराम को नहीं था । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध वारिस प्रमाण का भी अवलोकन किया गया । उक्त वारिस प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत, आंटोली द्वारा दिनांक 24.9.2014 को जारी किया गया है जिसमें मृतक खातेदार सोनीराम के विधिक वारिसान में नाथूराम, शिवराज, सम्पत पुत्रगण सोनीराम एवं सन्तोक एवं सोरती पुत्रियां सोनीराम दर्शाया गया है । प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत अपंजीकृत है तथा उक्त वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा फर्जी एवं अवैध बताया गया है तथा उक्त वसीयत के फर्जी होने के संबंध में संबंधित थाने में एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है यद्यपि उक्त एफ0आई0आर0 पर एफ0आर0 लगने का कथन अपीलांट ने किया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि को स्वअर्जित होने बाबत् कोई साक्ष्य वगैरह प्रस्तुत नहीं किये है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से

सहमत है कि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 135 (2) के अनुसार जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा ऐसे मामलों में वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये । अपीलांट तथाकथित वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना वसीयत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । जहां तक विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद के विचाराधीन होने के संबंध में पक्षकारान द्वारा वाद के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है । फिर भी यदि को वाद विचाराधीन है तो उसमें होने वाले निर्णय के अनुसार पक्षकारान कार्यवाही करने को स्वतंत्र है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 का प्रार्थना पत्र अपास्त कर विरासत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नही होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.4.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 37/2017 (2017/00038) बउनवानी श्रीमती संतोष देवी बनाम नाथूराम को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 135/2014 बउनवान श्रीमती संतोष देवी बनाम नाथूराम में पारित निर्णय दिनांक 10.4.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.2.2018को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर